



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2015/माघ 1, 1936

No.141]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/MAGHA 1, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

का.आ. 205(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र निम्नलिखित वंश या जाति को (वर्तमान किस्म या कृषक की किस्म नहीं होने के कारण) अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र फसल की प्रजातियाँ और जातियाँ	सामान्य नाम अंग्रेजी में	सामान्य नाम हिन्दी में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कैना एल.	कैना	केली
2.	ग्लेडिओलुस	ग्लेडिओलुस	ग्लेडिओलुस
3.	कुकुमिस मेलो एल.	मस्कमेलन	खरबूजा
4.	सिटरुलुस लानतुस (थुंब.) मनसफ	वाटरमेलन	तरबूज

[फा.सं. 2-9/2008-एसडी-V]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2015

S.O. 205(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby notifies the following genera or species (not being extant varieties and farmers' varieties) as eligible for registration under the said Act, namely:-

S.No.	Crop species or genera eligible for registration	Common Name in English	Common Name in Hindi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Canna L.</i>	Canna	Keli
2.	<i>Gladiolus L.</i>	Gladiolus	Gladiolus
3.	<i>Cucumis melo L.</i>	Muskmelon	Kharbuja
4.	<i>Citrullus Lanatus (Thunb.) Mansf.</i>	Watermelon	Tarbuj

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Joint Secy.